न्यायालयः अपर सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच, जनपद जालौन।
मुकदमा सं0– 257 / 2011
सरकार बनाम् जगदीश जाटव आदि।

एन0सी0आर0सं0 43 / 2010
धारा–352,504,506, भा0द0सं0
थाना नदीगांव, जिला जालौन।

आरोप

मैं, अभिषिक्ता यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच, आप अभियुक्तगण **जगदीश जाटव, रामसेवक व टिंकू** को एतद्द्वारा निम्न आरोपों से आरोपित करती हूँः–

1– यह कि दिनांक 26.08.2010 को समय सुबह 12.00 बजे, स्थान मकान वादिनी मुकदमा, ग्राम राजीपुरा, थाना नदीगांव, जिला जालौन में आप लोगों ने वादिनी मुकदमा पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा0द0सं0 की धारा–352 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा को अपमानित करने के उद्देश्य से गालियां दी, जिससे कि वह उत्तेजित होकर लोकशांति भंग करने पर अमादा हो जाए। इस प्रकार आप लोगों ने भा0द0सं0 की धारा–504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप लोगों ने भा0द0सं0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको निर्देश देती हूँ कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–30.09.2021

(अभिषिक्ता यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच
जनपद जालौन।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक–30.09.2021

(अभिषिक्ता यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच
जनपद जालौन।